भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4816

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

†4816. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के उच्च न्यायालयों में कितने दीवानी मामले लंबित हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामले दस वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ;

(ग) देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(घ) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और

(ङ) उच्च न्यायालयों में मामलों का समय पर और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 16 मार्च 2026 तक देश के उच्च न्यायालय में 44,75,765 सिविल मामले लंबित हैं, जिनमें से 10,48,393 मामले 10 वर्ष से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं ।

(ग) और (घ) : तारीख 13 मार्च 2026 तक, देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 316 पद रिक्त हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन, तथा तारीख 6 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामला) और तारीख 28 अक्टूबर 1998 की उसकी सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में, वर्ष 1998 में तैयार किए गए 'प्रक्रिया ज्ञापन' (एमओपी) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय

के मुख्य न्यायमूर्ति की होती है, जो उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से यह कार्य करते हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में रिक्त स्थानों को भरना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और मिलकर की जाने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से सलाह और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो एमओपी के अनुसार प्राप्त होती है। इन सिफ़ारिशों पर उन दूसरी रिपोर्टस को ध्यान में रखकर भी विचार किया जाना चाहिए, जो सरकार के पास विचाराधीन नामों के बारे में उपलब्ध हो सकती हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रस्ताव प्राप्त करके, फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजते हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफ़ारिश किए गए हो।

(ङ) : मामलों का निपटारा केवल न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आज्ञापक रूप से मामलों को शीघ्रता से निपटाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और न्यायपालिका द्वारा मामले के शीघ्रता से निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं ।

i. सरकार समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरती रही है। तारीख 1 मई 2014 से 28 फरवरी 2026 तक, उच्चतम न्यायालय में 72 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसी अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में 1164 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 820 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है।

ii. ई-न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण (2023-2027) तारीख 13 सितंबर 2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूर किया गया, जिसका उद्देश्य न्याय देने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर और अधिक सुदृढ़, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। अब तक उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय में न्यायालय अभिलेख के 660.36 करोड़ पृष्ठ डिजिटल रूप में परिवर्तित किए जा चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.97 करोड़ से अधिक सुनवाई हो चुकी हैं और कई उच्च न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध है। उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 2,444 हो गई है।

iii. पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में भी बकाया समितियाँ गठित की गई हैं।

iv. सरकार ने लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में भी संशोधन किया है।

v. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में अगस्त, 2018 में संशोधन किया गया है , जिसके अधीन वाणिज्यिक विवादों के मामलों में 'पूर्व संस्थागत मध्यकता और निपटान' (पीआईएमएस) को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए, समय-सीमा निर्धारित करते हुए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में 'माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015' के माध्यम से संशोधन किया गया है।

vi. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण 'वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र' है, जहाँ न्यायालय में लंबित विवादों/मामलों या मुकदमे से पूर्व के चरण वाले मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है; यह सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है, और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतें एक पूर्व-निर्धारित तिथि पर सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ आयोजित की जाती हैं ।
